News4rajasthan

जयपुर में 15000 रिक्शा चलाने वालों की रोजी रोटी पर संकट के बादल

Rajasthan — 10 July 2012

सेंटर फॉर सिविल सोसायटी दिल्ली द्वारा राज्य में चलाये जा रहे जीविका (ला लिबरटी एंड लाइवली हुड) अभियान के तहत जयपुर में रिक्शा चलाने वालों एवं उससे जुड़े व्यवसाइयों पर किये गए अध्ययन (शोध) को जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों,सवंधित विभागों (जयपुर नगर निगम, स्थानीय निकाय विभाग, यातायात विभाग, जयपुर मेट्रो एवं श्रम विभाग आदि) के अधिकारियों एवं रिक्शा व्यवसाय से जुड़े कुछ चुनिन्दा लोगो के बीच जारी किया गया। अध्ययन में बताया गया कि रिक्शा चलाने वालों के प्रति सरकार की संवेदन हीनता एवं लालफीताशाही के चलते राज्य में इस रोजगार से जुड़े लोगों को रोजी रोटी कमाना अब भारी पड़ने लगा है। जबकि रिक्शा अनुपातिक कम दुरी के आवागमन के लिए प्रदुषण मुक्त, सस्ता, अतिसुलभ एवं सर्वित्तम साधन है। इसके अलावा भारतीय संविधान की धारा 19 जी के अनुसार भी देश के हर व्यक्ति को अपनी रोजी रोटी कमाने का हक दिया गया है(जीविका का अधिकार)। उसे इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। सरकार द्वारा किसी भी वाहन स्टैंड पर सवारी लेने के लिए खडे होने के लिए अन्य वाहनों के साथ साथ रिक्शा के लिए भी स्थान चिन्हित करना कानूनी रूप से भी वाध्य कारी है। सरकार द्वारा गरीब के कल्याण के लिए जारी योजनाओं जैसे कि स्वाबलंबन, विश्वकर्मा योजना राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा योजना आदि का लाभ भी रिक्शा चलाने वालों को सरकारी विभागों के ढुलमुल रवैये के कारण नहीं मिल पा रहा है।इनके वास्तविक कल्याण के लिए एक बार फिर से गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता शोध में बतायी गयी है। इन सभी विषयों पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, सवंधित विभागों (जयपुर नगर निगम, स्थानीय निकाय विभाग, यातायात विभाग, जयपुर मेट्रो एवं श्रम विभाग आदि) के अधिकारियों एवं रिक्शा व्यवसाय से जुड़े हुए लोग ने अपने विचार प्रस्तुत किये। इस विचार मंथन का निष्कर्ष निकाल कर नीतिगत फैसले लेने में सरकार को सोसायटी द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।